



टी बोर्ड भारत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार

14,बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता- 700 001

www.teaboard.gov.in

दिनांक: 01.09.2025

कार्यालय ज्ञापन सं. 65/2025

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड मुख्यालय कोलकाता, से संबद्ध, श्रीमती अंजलि मिश्रा, (एम-253), एमटीएस, दिनांक 13.05.2026 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे। एफआर 56 (ए) के साथ पढ़े जाने वाले टी बोर्ड उप-नियम, 1955 (यथा संशोधित) के उप-नियम 30 के अनुसार, उन्हें दिनांक 31.05.2026 के अपराह्न से बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त किया जाएगा।

श्रीमती मिश्रा अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले, नियमों के तहत सभी प्रकार के अवकाश का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें परिवर्तित/अर्धवेतन अवकाश भी शामिल है तथा जिसके वे हकदार हैं। तथापि, यदि वह भारत के भीतर बिताते हैं तो उन्हें एक बार में 300 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 25.09.2008 को जारी का.ज्ञा. संख्या 14028/3/2008-स्था (एल) के अनुसार यदि वह चाहे तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान भी किया जा सकता है (बशर्ते कुल अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश 300 दिनों से अधिक नहीं होगा)।


(डॉ. कृषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:

1.	श्रीमती अंजलि मिश्रा, (एम-253), एमटीएस, टी बोर्ड, कोलकाता	
2.	उ नि चा वि (एनडी)	
3.	वि.स एवं मु.ले.अ.	
4.	लेखा अधिकारी (प्रभारी) (जअगा व स गु)	
5.	अवकाश शाखा	
6.	प्रभारी, पेंशन व पीएफ शाखा	
7.	सचिवालय शाखा	
8.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
9.	टीबीईए	
10.	टी बोर्ड कर्मचारी सहकारी समिति लि, कोलकाता	
11.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित

संदर्भ. मिसिल सं. 21(1)/स्था/2020